न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08 / 2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/ 8)

रघुनाथ सिह ढाका पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. आशादेवी उर्फ आसी देवी पत्नी नेमीचन्द पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
3. भागीरथ पुत्र झाबरमल झूरिया जाति जाट निवासी ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
4. सुगनसिह पुत्र झाबरमल झूरिया जाति जाट निवासी ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. केशरदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद पुत्री मेघराम दैया निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
6. चित्रा पुत्री जगदीश प्रसाद पुत्री मेघराम दैया निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
7. बलवीर सिह ढाका पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
8. लालचन्द ढाका पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
9. दीपक कुमार भास्कर पुत्र नेमीचन्द भास्कर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 04 इन्द्रगिरी आश्रम के पास, कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
10. रंजना पुत्री नेमीचन्द भास्कर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 04 इन्द्रगिरी आश्रम के पास, कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
11. महेशपाल सिह पुत्र गंगासिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
12. विशनसिह पुत्र गंगासिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
13. ब्रह्मसिह पुत्र गंगासिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
14. शेषपालसिह पुत्र गंगासिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
15. गौरकंवर पत्नी गंगासिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
16. किरणकंवर पत्नी ब्रह्मसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान।
17. सांवलसिह पुत्र नोमाराम ढाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर, राजस्थान।
18. श्यामलाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

19. महिपाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोंरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
20. भवरी पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोंरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
21. शारदा पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोंरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
22. सीता पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
23. चुकीदेवी पत्नी नेमीचन्द ढाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
24. राजेश कुमार ढाका पुत्र नेमीचन्द ढाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
25. अर्चना पुत्री नेमीचन्द ढाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
26. विजयपाल पुत्र मोबाराम ढाका जाति जाट निवासी ग्राम रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान।
27. प्रताप पुत्र खेमाराम बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूंगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
28. बिमला देवी पुत्री खेमाराम बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूंगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
29. ललिता पत्नी विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूंगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
30. धनिष्ठा पुत्री विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूंगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
31. शिवाय पुत्री विद्याधर बुरड़क जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी सानण डूंगरी के पास, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
32. पूर्णाराम पुत्र नानूराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
33. रणजीत पुत्र नानूराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
34. फूसी देवी पत्नी त्रिलोकचन्द महला जाति जाट निवासी सानण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू, राजस्थान ।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू।
36. अनिता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
37. इन्द्रा पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
38. छोटू देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
39. भवरी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थित
1. श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 27.05.2025

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2023 निर्णय दिनांक 14.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आशादेवी उर्फ आसीदेवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नरेन्द्र कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर वादगत खेत खसरा नम्बर 556 क्षेत्रफल 5.6902 हेक्टेयर व 627/556 क्षेत्रफल 2.1496 हेक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ की पेमाईश हल्का पटवारी से करवाई जाकर प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 556 क्षेत्रफल 5.6902 हेक्टेयर व 627/ 556/क्षेत्रफल 2.1496 हेक्टेयर की सीमा जहा कायम होती है वहा पत्थर गढी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 556 व 627/556 रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वर्तमान काश्त कटाई होने के बाद नियमानुसार पैमाईश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहा कायम होती है वहा पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 39 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट के नाम से कृषि भूमि वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ की खसरा नम्बर 961/555 तादादी 1.6438 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा सयुक्त खाते मे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दर्ज है एव खसरा नम्बर 558 तादादी 4.6786 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 565 तादादी 0.7587 हैक्टेयर कुल 2 किता मे 5.4373 हैक्टेयर मे अपीलान्ट 8/45 हिस्सा का कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कृषक है। जिस पर मौके पर मुताबिक अक्श (नक्शा) काबिज काश्तकार है। पूर्व तहसीलदार सुजानगढ द्वारा दिनांक 14.12.2023 को नाप का निशानदेही दिये जाने के आधार पर सीमाज्ञान किया जा चुका है। परन्तु अपीलान्ट को हैरान एवं परेशान करने की नियत से बिना आसा पासा चिपता खसरा नम्बर नही होने के बावजूद पक्षकार बनाया जाकर एकतरफा आदेश प्राप्त किया है। अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार सुजानगढ से बिना मौका रिपोर्ट या जांच करवाए बिना मरकस कायम किये बिना मौका जांच कर रिपोर्ट प्राप्त किये बिना पक्षकारान की मौजूदगी से नाप किये एक तरफा आदेश पारित किया है जो स्पीकिग ऑर्डर की तारीफ में नही आने के कारण खिलाफ कानून होने से काबिले खारिजी के है। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक 22.12.2023 की फर्द अहकाम मे रजिस्टर्ड डाक से तामील का आदेश होने के बावजूद अपीलान्ट के विरूद्व कोई रजिस्टर्ड नोटिस जारी नही कर बिना चस्पानगी से तामील के आदेश दिये। मनमाने तरीके से चस्पानगी से तामील दर्ज करते हुए एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जबरदस्ती कब्जे में प्रवेश करवाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जो खिलाफ कानून होने से काबिली खारिजी के है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है मियाद अपील कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2024 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को बाद सुनवाई तहसीलदार सुजानगढ से सभी पक्षकारन की मौजूदगी मे मरकश कायम कर रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे। अपीलान्ट विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2017 पृष्ठ 289 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ में अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रघुनाथसिह अप्रार्थी संख्या 6 पक्षकार था। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 के विरूद्व विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है उन्होने वहा पर कोई आपत्ति पेश नही की। अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारो की तामील हुई है, किसी भी पक्षकार को अपीलाधीन आदेश से आपत्ति नही है केवल अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यो की पूर्ण जांच कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आशादेवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नरेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 556 व 627/556 रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वर्तमान काश्त कटाई होने के बाद नियमानुसार पैमाईश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहा कायम होती है वहा पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है, इसमें अपीलान्ट को क्या दुविधा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी को भी बेदखली का आदेश पारित नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 14.08.2024 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें रेस्पोडेन्ट आशादेवी एवं नरेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 556 व 627/556 रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वर्तमान काश्त कटाई होने के बाद नियमानुसार पैमाईश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहा कायम होती है वहा पत्थरगढी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जाने का तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया है जो सही है। यदि पक्षकारो के मध्य अगर सीमा विवाद है तो वे अपनी खातेदारी भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का कानूनी हक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2024 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर